

अरनेश कुमार

बनाम

बिहार राज्य एवं अन्य।

(2014 की आपराधिक अपील संख्या 1277)

2 जुलाई 2014

[चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद और पिनाकी चंद्र घोष, जे.जे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 41 और 167 - बिना वारंट के पुलिस द्वारा गिरफ्तारी - सात साल तक की कैद की सजा वाले अपराध के आरोपी व्यक्तियों की - माना गया: धारा 41 यह स्पष्ट करती है कि जिस व्यक्ति पर अपराध का आरोप लगाया गया है, वह सात साल से कम अवधि की कैद की सजा से दंडनीय है। जिसे जुर्माने के साथ या उसके बिना सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, पुलिस अधिकारी द्वारा केवल इस संतुष्टि पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है कि ऐसे व्यक्ति ने अपराध किया है - गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी - धारा 41(1) के खंड (ए) से (ई) में बताए गए कारणों के संबंध में अपनी संतुष्टि दर्ज करें - गिरफ्तारी अपमान लाती है, स्वतंत्रता को कम कर देती है और हमेशा के लिए घाव बना देती है। - गिरफ्तारी की कठोर शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी की आवश्यकता पर अदालतों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिला है - रवैया पहले

गिरफ्तारी करना और फिर बाकी कार्रवाई करना घृणित है - यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है या परोक्ष उद्देश्य के साथ कार्य करते हैं - कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और इसलिए, पुलिस के लिए वैध है अधिकारियों को ऐसा करना होगा - किसी व्यक्ति के खिलाफ किए गए अपराध के आरोप मात्र पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती है - यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अधिकारी अनावश्यक रूप से आरोपियों को लापरवाही से यांत्रिक रूप से गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट हिरासत में लेने की अनुमति न दें - दंड संहिता, 1860 धारा 498 ए - दहेज निषेध अधिनियम, 1961- धारा 4.

धारा 41-पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थित होने का नोटिस - आयोजित जहां धारा 41(1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान और समय पर उसके सामने उपस्थित होने का निर्देश देने के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक है। कानून ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह आगे कहता है कि यदि ऐसा आरोपी नोटिस की शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से पुलिस अधिकारी की राय न हो कि गिरफ्तारी आवश्यक है-इस स्तर पर भी,

गिरफ्तारी के लिए धारा 41 के तहत परिकल्पित शर्तों का अनुपालन किया जाना चाहिए और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के अधीन होना चाहिए।

धारा.167 आर/डब्ल्यू एस. 57- न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा आरोपी को पुलिस रिमांड के लिए अधिकृत करना - माना गया: धारा 167 के तहत हिरासत को अधिकृत करने की शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है - यह नागरिकों की स्वतंत्रता और स्वतंत्रता को प्रभावित करती है और इसका उपयोग बहुत सावधानी और सावधानी से करने की आवश्यकता है - मजिस्ट्रेट द्वारा अधिकृत करने से पहले धारा 167 के तहत हिरासत में, उसे पहले संतुष्ट होना होगा कि की गई गिरफ्तारी कानूनी और कानून के अनुसार है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार संतुष्ट हैं - गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को प्रस्तुत करना आवश्यक है, गिरफ्तारी के लिए तथ्य, कारण और उसके निष्कर्ष और मजिस्ट्रेट को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के लिए पूर्व शर्त पूरी हो गई है और उसके बाद ही वह किसी आरोपी की हिरासत को अधिकृत करेगा - भारतीय संविधान, 1950 - अनुच्छेद 22।

जमानत

अग्रिम जमानत के लिए अपीलकर्ता का आवेदन- आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अपराध से जुड़े मामले में - उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया - कुछ शर्तों पर सुप्रीम

कोर्ट द्वारा अंतिम जमानत दी गई- आयोजित: जमानत देने का आदेश दिया गया निरपेक्ष- दंड संहिता, 1860 धारा 498-ए दहेज निषेध अधिनियम, 1961- धारा 4।

अपीलकर्ता-पति को आईपीसी की धारा 498-ए और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत अपराध के मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका थी, लेकिन अग्रिम जमानत हासिल करने में विफल रहने पर, उसने तत्काल अपील दायर की। अपील के लंबित रहने के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने दिनांक 31.10.2013 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को अग्रिम जमानत दे दी।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए

अभिनिर्धारित : 1.1. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में असाधारण वृद्धि हुई है। गिरफ्तारी अपमान लाती है, आज़ादी कम कर देती है और हमेशा के लिए घाव बना देती है। गिरफ्तारी की कठोर शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी की आवश्यकता पर अदालतों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। पहले गिरफ्तारी और फिर अन्य पर कार्यवाही करने का रवैया घृणित है। यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है या परोक्ष उद्देश्य से कार्य करते हैं। कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और इसलिए, पुलिस अधिकारियों के लिए ऐसा करना वैध है। गिरफ्तार करने

की शक्ति का अस्तित्व एक बात है, इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल दूसरी बात है। गिरफ्तारी की शक्ति के अलावा, पुलिस अधिकारियों को इसके कारणों को उचित ठहराने में भी सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराध के आरोप मात्र पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। [पैरा 6-8] [134-डी; 135- बी, डी, ई; 136-ए]

1.2. धारा 41 यह स्पष्ट करती है कि जिस व्यक्ति पर सात साल से कम की सजा या जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के सात साल तक की सजा हो सकती है, ऐसे अपराध के आरोपी व्यक्ति को पुलिस अधिकारी केवल इस बात से संतुष्ट होने पर गिरफ्तार नहीं कर सकता है कि ऐसा व्यक्ति ने अपराध किया था. इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि सीआरपीसी की धारा 41 के खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को संतुष्ट होना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है या मामले की उचित जांच के लिए या अभियुक्त को अपराध के सबूत गायब करने से रोकने के लिए या ऐसे सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा

करने से रोका जा सके या जब तक ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब भी आवश्यक हो, अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। न्यायालय पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय तथ्यों को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश देता है जिसके कारण वह किसी निष्कर्ष पर पहुंचा। कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। [पैरा 9] [137-जी-एच; 138- ए-सी]

1.3. इस न्यायालय की राय है कि यदि सीआरपीसी की धारा 41, जो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार देती है, के प्रावधानों को ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई गलती या अनजाने में इसे उलट दिया जाएगा और अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालय में आने वाले मामलों की संख्या में काफी कमी आएगी। इस बात पर जोर दिया गया है कि गिरफ्तारी को प्रभावित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41 में निहित सभी या अधिकांश कारणों को केस डायरी में यांत्रिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने की प्रथा को हतोत्साहित और बंद किया जाना चाहिए। [पैरा 13] [141-बी-डी]

2. पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए आरोपी को भारत के संविधान की अनुच्छेद 22(2) और धारा 57, सीआरपीसी के तहत अनावश्यक देरी के बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए और

यात्रा के लिए आवश्यक समय को छोड़कर किसी भी परिस्थिति में 24 घंटे से अधिक नहीं होना चाहिए। सीआरपीसी की धारा 167 के तहत हिरासत को अधिकृत करने की शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और आजादी को प्रभावित करता है और इसे बहुत सावधानी और सावधानी से बरतने की जरूरत है। अनुभव से पता चलता है कि इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जितनी गंभीरता से इसका प्रयोग किया जाना चाहिए। कई मामलों में हिरासत को नियमित, आकस्मिक और घुडसवार तरीके से अधिकृत किया जाता है। इससे पहले कि कोई मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 167 के तहत हिरासत को अधिकृत करे, उसे पहले संतुष्ट होना होगा कि की गई गिरफ्तारी कानूनी और कानून के अनुसार है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार संतुष्ट हैं। गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के तथ्य, कारण और उसके निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और बदले में मजिस्ट्रेट को संतुष्ट होना होता है कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के लिए पूर्व शर्त पूरी हो गई है और यह है उसके बाद ही वह किसी आरोपी की हिरासत को अधिकृत करेगा: हिरासत को अधिकृत करने से पहले मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा, हो सकता है संक्षेप में हो लेकिन उक्त संतुष्टि उसके आदेश से प्रतिबिंबित होनी चाहिए। मजिस्ट्रेट को इस प्रश्न का समाधान करना होगा कि क्या गिरफ्तारी के लिए विशिष्ट कारण दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो प्रथम दृष्टया वे कारण प्रासंगिक हैं और दूसरी बात यह है कि पुलिस

अधिकारी एक उचित निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि बताई गई एक या अन्य शर्तें आकर्षित होती हैं। इस सीमित सीमा तक मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच करेगा। [पैरा 10] [138-एफ-एच; 139-ए, डी, जी, एच]

3.1. इसके अलावा, धारा 41-ए सीआरपीसी यह स्पष्ट करती है कि ऐसे सभी मामलों में जहां धारा 41(1) सीआरपीसी के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को उसके सामने पेश होने का निर्देश देने के लिए नोटिस जारी करना आवश्यक है। एक निश्चित स्थान और समय पर कानून ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह आगे कहता है कि यदि ऐसा आरोपी नोटिस की शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों के लिए पुलिस अधिकारी की राय जरूरी न हो कि गिरफ्तारी की जानी चाहिए। इस स्तर पर भी, सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के लिए पूर्व शर्त का पालन करना होगा और मजिस्ट्रेट द्वारा जांच के अधीन होना होगा। [पैरा 12] [140-जी-एच; 141-ए-बी]

3.2. यह सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस अधिकारी आरोपी को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत को अधिकृत न करें। जारी किए गए निर्देश न केवल आईपीसी की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4, हाथ में मामला, के तहत मामलों पर लागू होंगे। लेकिन ऐसे

मामलों में भी जहां अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है जो सात साल से कम हो सकता है या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, चाहे जुर्माना के साथ या बिना। [पैरा 15] [142-जी-एच; 143-ए]

4. अपीलकर्ता को कुछ शर्तों पर अग्रिम जमानत देने का आदेश दिनांक 31.10.2013 को पूर्ण बनाया जाता है। [पैरा 17] [143-बी, सी]

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: 2014 की आपराधिक अपील संख्या 1277।

उच्च न्यायालय, पटना के सीआरएलएम संख्या 30041/2013 में दिनांक 08.10.2013 के निर्णय और आदेश से।

अपीलकर्ता की ओर से राकेश कुमार, कौशल यादव।

प्रतिवादियों की ओर से रुद्रेश्वर सिंह, समीर अली खान, अपर्णा झा, ब्रज के. मिश्रा, अभिषेक यादव।

न्यायालय का निर्णय सुनाया गया

चंद्रमौलि के.आर. प्रसाद, जे. 1. याचिकाकर्ता को भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 498-ए (इसके बाद इसे आईपीसी कहा जाएगा) और दहेज निषेध अधिनियम, 1961 की धारा 4 के तहत एक मामले में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है। धारा 498-ए के तहत आईपीसी में एक अवधि के लिए कारावास और जुर्माना है, जिसे तीन साल तक बढ़ाया जा सकता है

की अधिकतम सजा का प्रावधान है। जबकि दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिकतम सजा दो साल और जुर्माना है।

2. याचिकाकर्ता प्रतिवादी संख्या 2 श्वेता किरण का पति है। उनके बीच विवाह 1 जुलाई, 2007 को संपन्न हुआ था। अग्रिम जमानत हासिल करने का उनका प्रयास विफल रहा है और इसलिए उन्होंने इस विशेष अनुमति याचिका के माध्यम से इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है।

3. स्वीकार की गई।

4. कुल मिलाकर, अपीलकर्ता के खिलाफ पत्नी द्वारा लगाया गया आरोप यह है कि उसकी सास और ससुर द्वारा आठ लाख रुपये, एक मारुति कार, एक एयर कंडीशनर, टेलीविजन सेट आदि की मांग की गई थी। जब यह तथ्य अपीलकर्ता के ध्यान में लाया गया, तो उसने अपनी मां का समर्थन किया और दूसरी महिला से शादी करने की धमकी दी। आरोप है कि दहेज की मांग पूरी न होने पर उसे ससुराल से निकाल दिया गया।

5. इन आरोपों से इनकार करते हुए, अपीलकर्ता ने अग्रिम जमानत के लिए एक आवेदन दायर किया, जिसे पहले विद्वान सत्र न्यायाधीश और उसके बाद उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया था।

6. हाल के वर्षों में वैवाहिक विवादों में असाधारण वृद्धि हुई है। इस देश में विवाह संस्था का बहुत सम्मान किया जाता है। आईपीसी की धारा 498-ए एक महिला को उसके पति और उसके रिश्तेदारों के हाथों उत्पीड़न के खतरे से निपटने के घोषित उद्देश्य से पेश की गई थी। तथ्य यह है

कि धारा 498-ए एक संज्ञेय और गैर-जमानती अपराध है, जिसने इसे उन प्रावधानों के बीच गौरव का एक संदिग्ध स्थान दिया है जो असंतुष्ट पत्नियों द्वारा ढाल के बजाय हथियार के रूप में उपयोग किए जाते हैं। परेशान करने का सबसे आसान तरीका है कि पति और उसके रिश्तेदारों को इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार कर लिया जाए। कई मामलों में बिस्तर पर पड़े पतियों के दादा-दादी, दादी-नानी, दशकों से विदेश में रह रही उनकी बहनों को गिरफ्तार किया गया है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, गृह मंत्रालय द्वारा प्रकाशित "भारत में अपराध 2012 सांख्यिकी" आईपीसी की धारा 498-ए के तहत अपराध के लिए वर्ष 2012 के दौरान पूरे भारत में 1,97,762 व्यक्तियों की गिरफ्तारी दर्शाता है, जो वर्ष 2011 की तुलना में 9.4% अधिक है। 2012 में इस प्रावधान के तहत गिरफ्तार किए गए लोगों में से लगभग एक चौथाई महिलाएं थीं। 47,951 जो दर्शाता है कि पतियों की माताओं और बहनों को उदारतापूर्वक उनकी गिरफ्तारी के जाल में शामिल किया गया था। भारतीय दंड संहिता के तहत किये गये अपराधों के तहत गिरफ्तार किये गये कुल व्यक्तियों में इसकी हिस्सेदारी 6% है। यह दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत किए गए कुल अपराधों का 4.5% है, जो चोरी और चोट को छोड़कर किसी भी अन्य अपराध से अधिक है। आईपीसी की धारा 498 ए के तहत मामलों में आरोप पत्र दायर करने की दर 93.6% तक है, जबकि सजा की दर केवल 15% है, जो सभी मामलों में सबसे कम है। कम से कम 3,72,706 मामले लंबित हैं, जिनमें से

वर्तमान अनुमान के अनुसार, लगभग 3,17,000 के बरी होने की संभावना है।

7. गिरफ्तारी अपमान लाती है, आज़ादी कम कर देती है और हमेशा के लिए घाव बना देती है। यह बात कानून बनाने वाले भी और पुलिसवाले भी जानते हैं। कानून बनाने वालों और पुलिस के बीच लड़ाई चल रही है और ऐसा लगता है कि पुलिस ने सबक नहीं सीखा है, सीआरपीसी में निहित और सन्निहित पाठ। आजादी के छह दशकों के बावजूद यह अपनी औपनिवेशिक छवि से बाहर नहीं आ सका है, इसे बड़े पैमाने पर उत्पीड़न, उत्पीड़न का एक उपकरण माना जाता है और निश्चित रूप से इसे जनता का मित्र नहीं माना जाता है। गिरफ्तारी की कठोर शक्ति का प्रयोग करने में सावधानी की आवश्यकता पर न्यायालयों द्वारा बार-बार जोर दिया गया है, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिले हैं। गिरफ्तार करने की शक्ति इसके अहंकार में बहुत योगदान देती है और साथ ही इसे रोकने में मजिस्ट्रेट की विफलता भी। इतना ही नहीं, गिरफ्तारी की शक्ति पुलिस भ्रष्टाचार के आकर्षक स्रोतों में से एक है। पहले गिरफ्तारी और फिर बाकियों पर कार्यवाही करने का रवैया घृणित है। यह उन पुलिस अधिकारियों के लिए एक उपयोगी उपकरण बन गया है जिनमें संवेदनशीलता की कमी है या परोक्ष उद्देश्य से कार्य करते हैं।

8. विधि आयोगों, पुलिस आयोगों और इस न्यायालय ने बड़ी संख्या में निर्णयों में गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग करते समय व्यक्तिगत

स्वतंत्रता और सामाजिक व्यवस्था के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। पुलिस अधिकारी गिरफ्तारी करते हैं क्योंकि उनका मानना है कि उनके पास ऐसा करने की शक्ति है। जैसे-जैसे गिरफ्तारी आज़ादी को कम करती है, अपमान लाती है और हमेशा के लिए घाव दे देती है, हम अलग तरह से महसूस करते हैं। हमारा मानना है कि कोई भी गिरफ्तारी केवल इसलिए नहीं की जानी चाहिए क्योंकि अपराध गैर-जमानती और संज्ञेय है और इसलिए, पुलिस अधिकारियों के लिए ऐसा करना वैध है। गिरफ्तार करने की शक्ति का अस्तित्व एक बात है, इसके प्रयोग का औचित्य बिल्कुल दूसरी बात है। गिरफ्तारी की शक्ति के अलावा, पुलिस अधिकारियों को इसके कारणों को उचित ठहराने में भी सक्षम होना चाहिए। किसी व्यक्ति के विरुद्ध किए गए अपराध के आरोप मात्र पर नियमित तरीके से कोई गिरफ्तारी नहीं की जा सकती। एक पुलिस अधिकारी के लिए यह विवेकपूर्ण और बुद्धिमानी होगी कि आरोप की वास्तविकता के बारे में कुछ जांच के बाद उचित संतुष्टि के बिना कोई गिरफ्तारी न की जाए। इस कानूनी स्थिति के बावजूद, विधानमंडल में कोई सुधार नहीं हुआ। गिरफ्तारी की संख्या कम नहीं हुई है। अंततः संसद को हस्तक्षेप करना पड़ा और वर्ष 2001 में प्रस्तुत विधि आयोग की 177 वीं रिपोर्ट की सिफारिश पर दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 41 (संक्षेप में 'सीआरपीसी') को वर्तमान स्वरूप में अधिनियमित किया गया। यह ध्यान रखना दिलचस्प है कि ऐसी सिफारिश विधि आयोग द्वारा वर्ष 1994 में प्रस्तुत अपनी 152 वीं और 154 वीं रिपोर्ट में की गई थी। आनुपातिकता का

मूल्य गिरफ्तारी से संबंधित संशोधन में व्याप्त है। चूंकि वर्तमान अपील में हम जिस अपराध से संबंधित हैं, उसमें अधिकतम कारावास की सजा का प्रावधान है जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है और जुर्माना लगाया जा सकता है, सीआरपीसी की धारा 41(1)(बी), जो इस उद्देश्य के लिए प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"41. जब पुलिस बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकती है.- (1) कोई भी पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है

(ए) XX XX X X

(बी) जिसके खिलाफ उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या उचित संदेह मौजूद है कि उसने एक संज्ञेय अपराध किया है, जिसकी अवधि सात साल से कम हो सकती है या जिसे सात वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। चाहे जुर्माने के साथ या बिना, यदि निम्नलिखित शर्तें पूरी होती हैं, अर्थात्:-

i. X X X X X

ii. पुलिस अधिकारी संतुष्ट है कि ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है -

a) ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने के लिए; या

b) अपराध की उचित जांच के लिए; या

c) ऐसे व्यक्ति को अपराध के साक्ष्य को गायब करने या ऐसे साक्ष्य के साथ किसी भी तरीके से छेड़छाड़ करने से रोकना; या

d) ऐसे व्यक्ति को मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी को ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या

e) जब तक ऐसे व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब भी आवश्यक हो, न्यायालय में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती, और पुलिस अधिकारी ऐसी गिरफ्तारी करते समय अपने कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा:

बशर्ते कि एक पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में जहां इस उपधारा के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करेगा।

X X X X X X

9. उपरोक्त प्रावधान को स्पष्ट रूप से पढ़ने से, यह स्पष्ट है कि सात वर्ष से कम अवधि के कारावास या जुर्माने के साथ या बिना जुर्माने के सात वर्ष तक की सजा से दंडनीय अपराध के आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता है। पुलिस अधिकारी केवल इस बात से संतुष्ट होने पर कि अमुक व्यक्ति ने उपरोक्तानुसार दंडनीय अपराध किया है। ऐसे मामलों में गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारी को इस बात से संतुष्ट होना होगा कि ऐसे व्यक्ति को कोई और अपराध करने से रोकने या मामले की उचित जांच के लिए ऐसी गिरफ्तारी आवश्यक है; या अभियुक्त को अपराध के सबूत गायब करने से रोकने के लिए; या ऐसे सबूतों के साथ किसी भी तरह से छेड़छाड़ करना; या ऐसे व्यक्ति को किसी गवाह को कोई प्रलोभन, धमकी या वादा करने से रोकना ताकि उसे अदालत या पुलिस अधिकारी के सामने ऐसे तथ्यों का खुलासा करने से रोका जा सके; या जब तक ऐसे आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाता, जब भी आवश्यक हो, अदालत में उसकी उपस्थिति सुनिश्चित नहीं की जा सकती। ये वो निष्कर्ष हैं जिन पर कोई भी तथ्यों के आधार पर पहुंच सकता है। कानून पुलिस अधिकारी को ऐसी गिरफ्तारी करते समय तथ्यों

को बताने और उन कारणों को लिखित रूप में दर्ज करने का आदेश देता है जिसके कारण वह उपरोक्त किसी भी प्रावधान के तहत आने वाले निष्कर्ष पर पहुंचा। कानून के अनुसार पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तारी न करने के कारणों को लिखित रूप में दर्ज करना होगा। असल में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस कार्यालय को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि गिरफ्तारी क्यों? क्या सचमुच इसकी आवश्यकता है? यह किस उद्देश्य की पूर्ति करेगा? इससे कौन सा उद्देश्य प्राप्त होगा? इन सवालों का समाधान होने और ऊपर बताई गई एक या अन्य शर्तें पूरी होने के बाद ही गिरफ्तारी की शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए। जुर्माने में, गिरफ्तारी से पहले पुलिस अधिकारियों के पास जानकारी और सामग्री के आधार पर यह विश्वास करने का कारण होना चाहिए कि आरोपी ने अपराध किया है। इसके अलावा, पुलिस अधिकारी को इस बात से भी संतुष्ट होना होगा कि सीआरपीसी की धारा 41 के खंड (1) के उप-खंड (ए) से (ई) द्वारा परिकल्पित एक या अधिक उद्देश्यों के लिए गिरफ्तारी आवश्यक है।

10. पुलिस द्वारा बिना वारंट के गिरफ्तार किए गए आरोपी को भारत के संविधान के अनुच्छेद 22(2) और धारा 57, सीआरपीसी के तहत संवैधानिक अधिकार है कि उसे

अनावश्यक देरी के बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए और किसी भी परिस्थिति में यात्रा के लिए आवश्यक समय के अलावा 24 घंटे से अधिक नहीं हो। किसी मामले की जांच के दौरान, किसी आरोपी को 24 घंटे की अवधि से अधिक तभी हिरासत में रखा जा सकता है, जब सीआरपीसी की धारा 167 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए मजिस्ट्रेट द्वारा इसे अधिकृत किया गया हो। हिरासत को अधिकृत करने की शक्ति एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। यह नागरिकों की स्वतंत्रता और आजादी को प्रभावित करता है और इसे बहुत सावधानी और सावधानी से बरतने की जरूरत है। हमारा अनुभव हमें बताता है कि इसे उतनी गंभीरता से नहीं लिया जाता, जितनी गंभीरता से इसका उपयोग किया जाना चाहिए। कई मामलों में, हिरासत को नियमित, आकस्मिक और अभद्र तरीके से अधिकृत किया जाता है। इससे पहले कि कोई मजिस्ट्रेट सीआरपीसी की धारा 167 के तहत हिरासत को अधिकृत करे, उसे पहले संतुष्ट होना होगा कि की गई गिरफ्तारी कानूनी और विधि के अनुसार है और गिरफ्तार किए गए व्यक्ति के सभी संवैधानिक अधिकार संतुष्ट हैं। यदि पुलिस अधिकारी द्वारा की गई गिरफ्तारी संहिता की धारा 41 की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करती है, तो मजिस्ट्रेट उसकी आगे की हिरासत को अधिकृत नहीं करने और आरोपी को रिहा करने के लिए बाध्य

है। दूसरे शब्दों में, जब किसी आरोपी को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के लिए तथ्य, कारण और उसके निष्कर्ष प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है और मजिस्ट्रेट को गिरफ्तारी के लिए पूर्ववर्ती शर्तों से संतुष्ट होना पड़ता है। सीआरपीसी की धारा 41 के तहत संतुष्ट हो गया है और उसके बाद ही वह किसी आरोपी की हिरासत को अधिकृत करेगा। हिरासत को अधिकृत करने से पहले मजिस्ट्रेट अपनी संतुष्टि दर्ज करेगा, हो सकता है संक्षेप में हो लेकिन उक्त संतुष्टि उसके आदेश से प्रतिबिंबित होनी चाहिए। यह कभी भी पुलिस अधिकारी के आईपीएस दीक्षित पर आधारित नहीं होगा, उदाहरण के लिए, यदि पुलिस अधिकारी ऐसे व्यक्ति को आगे कोई अपराध करने से रोकने या मामले की उचित जांच करने या किसी आरोपी को छेड़छाड़ करने से या साक्ष्य या प्रलोभन आदि देने रोकने के लिए गिरफ्तारी को आवश्यक समझता है। पुलिस अधिकारी मजिस्ट्रेट को वे तथ्य, कारण और सामग्री प्रस्तुत करेगा जिनके आधार पर पुलिस अधिकारी अपने निष्कर्ष पर पहुंचा था। हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट द्वारा उनका अध्ययन किया जाएगा और लिखित रूप में अपनी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट आरोपी को हिरासत में लेने के लिए अधिकृत करेगा। जब किसी संदिग्ध

को गिरफ्तार किया जाता है और हिरासत में लेने के लिए मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है, तो मजिस्ट्रेट को इस सवाल का समाधान करना होता है कि क्या गिरफ्तारी के लिए उचित कारण दर्ज किए गए हैं और यदि हां, तो प्रथम दृष्टया वे कारण प्रासंगिक हैं और दूसरी बात यह है कि एक उचित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। पुलिस अधिकारी तक पहुंच जाए कि ऊपर बताई गई एक या अन्य शर्तें लागू हैं। इस सीमित सीमा तक मजिस्ट्रेट न्यायिक जांच करेगा।

11. एक अन्य प्रावधान यानी सीआरपीसी की धारा 41 ए का उद्देश्य अनावश्यक गिरफ्तारी या आरोपी पर मंडरा रहे गिरफ्तारी के खतरे से बचना है, जिसे सक्रिय करने की आवश्यकता है। दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम, 2008 (2009 का अधिनियम 5) की धारा 6 द्वारा सम्मिलित धारा 41 ए, जो संदर्भ में प्रासंगिक है, इस प्रकार है:

"41 ए. पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति की सूचना.-

(1) पुलिस अधिकारी, उन सभी मामलों में, जहां धारा 41 की उपधारा (1) के प्रावधानों के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, एक नोटिस जारी कर निर्देशित करेगा जिस व्यक्ति के खिलाफ उचित शिकायत की गई है, या विश्वसनीय जानकारी प्राप्त हुई है, या उचित संदेह है कि उसने

कोई संज्ञेय अपराध किया है, उसे उसके सामने या ऐसे अन्य स्थान पर उपस्थित होना होगा जो नोटिस में निर्दिष्ट किया जा सकता है।

(2) जहां किसी व्यक्ति को ऐसा नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस की शर्तों का अनुपालन करना उस व्यक्ति का कर्तव्य होगा।

(3) जहां ऐसा व्यक्ति नोटिस का अनुपालन करता है और अनुपालन करना जारी रखता है, उसे नोटिस में निर्दिष्ट अपराध के संबंध में गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने वाले कारणों से, पुलिस अधिकारी की राय न हो कि उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए

(4) जहां ऐसा व्यक्ति, किसी भी समय, नोटिस की शर्तों का पालन करने में विफल रहता है या अपनी पहचान बताने को तैयार नहीं है, पुलिस अधिकारी, इस संबंध में सक्षम न्यायालय द्वारा पारित किए गए आदेशों के अधीन, नोटिस में उल्लिखित अपराध के लिए उसे गिरफ्तारी कर सकता है।"

12. उपरोक्त प्रावधान यह स्पष्ट करता है कि सभी मामलों में जहां सीआरपीसी की धारा 41(1) के तहत किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं है, पुलिस अधिकारी को आरोपी को एक निर्दिष्ट स्थान पर उसके सामने पेश होने का निर्देश देने के लिए नोटिस जारी करना

आवश्यक है। कानून ऐसे आरोपी को पुलिस अधिकारी के सामने पेश होने के लिए बाध्य करता है और यह आगे कहता है कि यदि ऐसा आरोपी नोटिस की शर्तों का अनुपालन करता है तो उसे गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, जब तक कि दर्ज किए जाने ज़रूरी वाले कारणों के लिए पुलिस कार्यालय की राय न हो कि गिरफ्तारी हो। इस स्तर पर भी, सीआरपीसी की धारा 41 के तहत गिरफ्तारी के लिए पूर्व शर्त का अनुपालन किया जाना चाहिए और उपरोक्त के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा उसी जांच के अधीन होना चाहिए।

13. हमारी राय है कि यदि सीआरपीसी की धारा 41 के प्रावधान, जो पुलिस अधिकारी को मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना और वारंट के बिना किसी आरोपी को गिरफ्तार करने का अधिकार देते हैं, को ईमानदारी से लागू किया जाता है, तो पुलिस अधिकारियों द्वारा जानबूझकर की गई गलती या अनजाने में इसे उलट दिया जाएगा और अग्रिम जमानत देने के लिए न्यायालय में आने वाले मामलों की संख्या में काफी कमी आएगी। हम इस बात पर जोर देना चाहेंगे कि गिरफ्तारी को प्रभावित करने के लिए सीआरपीसी की धारा 41 में निहित सभी या अधिकांश कारणों को केस डायरी में यांत्रिक रूप से पुनः प्रस्तुत करने की प्रथा को हतोत्साहित किया जाए और बंद किया जाए।

14. इस फैसले में हमारा प्रयास यह सुनिश्चित करना है कि पुलिस अधिकारी आरोपियों को अनावश्यक रूप से गिरफ्तार न करें और मजिस्ट्रेट

आकस्मिक और यंत्रवत् हिरासत को अधिकृत न करें। यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमने ऊपर क्या देखा है, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

1) सभी राज्य सरकारें अपने पुलिस अधिकारियों को निर्देश दें कि आईपीसी की धारा 498-ए के तहत मामला दर्ज होने पर स्वचालित रूप से गिरफ्तारी न करें, बल्कि सीआरपीसी की धारा 41 के तहत निर्धारित मापदंडों के तहत गिरफ्तारी की आवश्यकता के बारे में खुद को संतुष्ट करें;

2) सभी पुलिस अधिकारियों को धारा 41(1)(बी)(ii) के तहत निर्दिष्ट उप-खंडों वाली एक चेक सूची प्रदान की जानी चाहिए;

3) पुलिस अधिकारी विधिवत दायर की गई जांच सूची को अग्रेषित करेगा और आगे की हिरासत के लिए मजिस्ट्रेट के समक्ष अभियुक्त को अग्रेषित/पेश करते समय उन कारणों और सामग्रियों को प्रस्तुत करेगा जिनके कारण गिरफ्तारी की आवश्यकता हुई;

4) अभियुक्त की हिरासत को अधिकृत करते समय मजिस्ट्रेट उपरोक्त शर्तों के अनुसार पुलिस अधिकारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करेगा और उसकी संतुष्टि दर्ज करने के बाद ही मजिस्ट्रेट हिरासत को अधिकृत करेगा;

5) किसी अभियुक्त को गिरफ्तार न करने का निर्णय, मामले की शुरुआत की तारीख से दो सप्ताह के भीतर मजिस्ट्रेट को भेजा जाएगा, जिसकी एक प्रति मजिस्ट्रेट को दी जाएगी, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है;

6) सीआरपीसी की धारा 41ए के तहत उपस्थिति का नोटिस मामला शुरू होने की तारीख से दो सप्ताह के भीतर आरोपी को दिया जाएगा, जिसे जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से बढ़ाया जा सकता है;

7) उपरोक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता संबंधित पुलिस अधिकारियों को विभागीय कार्रवाई के लिए उत्तरदायी बनाने के अलावा, क्षेत्रीय क्षेत्राधिकार वाले उच्च न्यायालय के समक्ष स्थापित की जाने वाली अदालत की अवमानना के लिए दंडित किए जाने के लिए भी उत्तरदायी होगी।

8) संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उपरोक्त कारण दर्ज किए बिना हिरासत को अधिकृत करने पर संबंधित उच्च न्यायालय द्वारा विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

15. हम यह जोड़ना चाहते हैं कि उपरोक्त निर्देश केवल आईपीसी की धारा 498-ए या दहेज निषेध अधिनियम की धारा 4, हाथ में मामला के तहत मामलों पर लागू नहीं होंगे। लेकिन ऐसे मामले भी जहां अपराध एक अवधि के लिए कारावास से दंडनीय है जो सात साल से कम हो सकता है या जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है; चाहे जुर्माने के साथ हो या बिना जुर्माने के।

16. हम निर्देश देते हैं कि इस फैसले की एक प्रति मुख्य सचिवों, सभी राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के पुलिस महानिदेशकों और

सभी उच्च न्यायालयों के रजिस्ट्रार जनरल को आगे प्रेषित करने और इसका अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए भेजी जाए।

17. इस न्यायालय ने 31 अक्टूबर, 2013 के आदेश द्वारा अपीलकर्ता को कुछ शर्तों पर अग्रिम जमानत दी थी। हम इस आदेश को पूर्ण बनाते हैं।

18. परिणामस्वरूप, हम इस अपील को स्वीकार करते हैं, जिससे हमारा 31 अक्टूबर, 2013 का उपरोक्त आदेश उपरोक्त निर्देशों के साथ पूर्ण हो जाता है।

अपील स्वीकृत

नोट:- यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी श्रीमती रजनी मीणा द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सिमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।